अनुदान संख्या 63 – श्रम और रोजगार मंत्रालय
GRANT No. 63 - MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	12021,49,00	16881,52,00	12903,72,26	-3977,79,74
पूरक	Supplementary	4860,03,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3221,08,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		44,00,00	26,10,34	-17,89,66
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				17,13,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹397779.74 लाख) सितम्बर, 2020 और फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹486003.00 लाख की पूरक अनुदान का 82 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 24 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall saving (₹397779.74 lakhs) constituted 82 percent of the supplementary grants of ₹486003.00 lakhs obtained in September, 2020 and February, 2021 and 24 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2251” सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	Major Head “2251” Secretariat - Social Services				
मू.	O.	7513.00	7113.00	6388.28	-724.72
पु.	R.	-400.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “2230” श्रम, रोजगार और कौशल विकास	Major Head “2230” Labour, Employment and Skill Development				
मू.	O.	1077060.00			
पू.	S.	437401.00	1340648.65	1282064.93	-58583.72
पु.	R.	-173812.35			
मुख्य शीर्ष “2552” पूर्वोत्तर क्षेत्र	Major Head “2552” North Eastern Areas				
मू.	O.	113716.00			
पू.	S.	48601.00			
पु.	R.	-145967.65	16349.35	..	-16349.35
मुख्य शीर्ष “3601” राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head “3601” Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	2310.00			
			792.00	786.53	-5.47
पु.	R.	-1518.00			

(I) ₹163753.00 लाख का प्रावधान (₹48601.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) सोलह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹162130.00 लाख निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गएः–

(I) Provision of ₹163753.00 lakhs (including supplementary grant of ₹48601.00 lakhs) remained wholly unutilized under sixteen heads; of these ₹162130.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष “2230” – “श्रम – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – असम में वृक्षारोपण कामगारों के लिए परिवार पेंशन और जीवन एश्योरेंस स्कीम” – ₹559.00 लाख अंशदानकर्ताओं से प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और बैठकों/सम्मेलनों का आयोजन न होने के कारण।

(A) Major Head “2230” - “Labour - “Special Component Plan for Scheduled Castes - Family Pension-cum-Life Assurance Scheme for the Plantation Workers in Assam” - ₹559.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from contributors and non-holding of meetings/conferences.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "श्रम – बाल/महिला श्रमिकों की कार्य स्थिति में सुधार – स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता अनुदान सहित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना तथा बंधुवा मजदूरों को सहायता की प्रतिपूर्ति" – ₹1100.00 लाख कोविड–19 महामारी की वजह से कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण।

(ख) "रोजगार सेवाएं – अनुसंधान सर्वेक्षण और सांख्यिकी – रोजगार संवर्धन स्कीम" – ₹24610.00 लाख – व्यय की धीमी गति होने की वजह से कार्यान्वयन एजेंसियों/इपीएफओ से कम मांग होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण।

(ग) "श्रम – श्रम के लिए सामाजिक सुरक्षा" –

(i) "सामाजिक सुरक्षा स्कीमें" – ₹57931.00 लाख की बचत (₹48600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्तीय सेवाएं विभाग को असंगठित कामगारों के लिए बीमा योजना स्कीम का अंतरण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) तथा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) स्कीमों के अंतर्गत व्यय की धीमी गति होने की वजह से कार्यान्वयन एजेंसियों/इपीएफओ से कम मांग होने, पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण।

(B) Major Head "2552" -

(a) "Labour-Improvement in Working Condition of Child/Women Labour - National Child Labour Project including grants-in-aid to voluntary agencies and reimbursement of assistance to bonded labour" - ₹1100.00 lakhs - due to slow progress of work owing to COVID-19 pandemic.

(b) "Employment Services - Research Survey and Statistics - Employment Promotion Scheme" - ₹24610.00 lakhs - due to less demand from implementing agencies/ EPFO owing to slow pace of expenditure, re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(c) "Labour - Social Security for Labour" -

(i) "Social Security Schemes" - ₹57931.00 lakhs (including supplementary grant of ₹48600.00 lakhs) was due to transfer of the scheme of Bima Yojana for Unorganized Workers to Department of Financial Services, less demand from implementing agencies/EPFO owing to slow pace of expenditure under the schemes of Pradhan Mantri Gareeb Kalyan Yojana (PMGKY) and Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana (ABRY), re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(ii) "कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995" – ₹74571.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(iii) "असम के बागान कामगारों के लिए परिवार पेंशन एवं जीवन बीमा स्कीम" – ₹2518.00 लाख; और

(घ) "श्रम – सामान्य श्रम कल्याण – श्रम कल्याण स्कीमें" – ₹841.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2230" – "श्रम" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अप्रयुक्त रहा:–

(का) "श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा – सामाजिक सुरक्षा स्कीमें" – ₹60464.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹314929.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹375393.00 लाख कर दिया गया, जो, तथापि, वित्तीय सेवाएं विभाग को असंगठित कामगारों के लिए बीमा योजना स्कीम का अंतरण किए जाने, अंशदानों के लिए कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने, अधिप्राप्ति को लिए निविदा के अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने, स्कीम के अंतर्गत व्यय की धीमी प्रगति होने की वजह से कार्यान्वयन एजेंसियों/इपीएफओ से कम मांग होने के कारण ₹134476.50 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना– सामाजिक सुरक्षा स्कीमें" – ₹15490.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹80676.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹96166.00 लाख कर दिया गया, जो, तथापि, ₹35220.90 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(ii) "Employees' Pension Scheme, 1995" - ₹74571.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(iii) "Family Pension-cum-Life Assurance Scheme for the Plantation Workers in Assam" - ₹2518.00 lakhs; and

(d) "Labour - General Labour Welfare - Labour Welfare Schemes" - ₹841.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained wholly unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2230" - "Labour" - remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) "Social Security for Labour - Social Security Schemes" - the original provision of ₹60464.00 lakhs was augmented to ₹375393.00 lakhs by obtaining supplementary grants of ₹314929.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹134476.50 lakhs due to transfer of the scheme of Bima Yojana for Unorganized Workers to Department of Financial Services, receipt of less proposals for contribution, delay in finalization of tender for procurement and less demand from implementing agencies/EPFO owing to slow pace of expenditure under the schemes.

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Social Security Schemes" - the original provision of ₹15490.00 lakhs was augmented to ₹96166.00 lakhs by obtaining supplementary grants of ₹80676.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹35220.90 lakhs; and

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – सामाजिक सुरक्षा स्कीमें" – ₹8025.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹41796.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹49821.00 लाख कर दिया गया, जो, तथापि, ₹17283.87 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Social Security Schemes" - the original provision of ₹8025.00 lakhs was augmented to ₹49821.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹41796.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹17283.87 lakhs.

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत वित्तीय सेवाएं विभाग को असंगठित कामगारों के लिए बीमा योजना स्कीम का अंतरण किए जाने, अंशदान के लिए कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने, अधिप्राप्ति के लिए निविदा को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने और स्कीम के अंतर्गत व्यय की धीमी गति होने की वजह से कार्यान्वयन एजेंसियों/इपीएफओ से कम मांग होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to transfer of the scheme of Bima Yojana for Unorganized Workers to Department of Financial Services, receipt of less proposals for contributions, delay in finalization of tender for procurement and less demand from implementing agencies/EPFO owing to slow pace of expenditure under the schemes.

(III) मुख्य शीर्ष "2251" – "सचिवालय – श्रम मंत्रालय" के अंतर्गत ₹1124.72 लाख की बचत (₹7513.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंहगाई भत्ता के स्थिरीकरण किए जाने, कम दौरे किए जाने, पीएम श्रम पुरस्कार का आयोजन न किए जाने और कोविड–19 महामारी की वजह से बैठकों/सम्मेलनों का कम आयोजन किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2251" - "Secretariat - Ministry of Labour" - saving of ₹1124.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7513.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, less tours undertaken, non-holding of PM Shram Awards and conduction of less meetings/conferences owing to COVID-19 pandemic.

(IV) मुख्य शीर्ष "2230" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(IV) Under Major Head "2230" - savings occurred under the following heads:-

(का) "श्रम" –

(A) "Labour" -

(क) "औद्योगिक संबंध – अन्य मदें" – ₹1750.28 लाख की बचत (₹10425.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंहगाई भत्ता के स्थिकरीकरण किए जाने, कम दौरे किए जाने, कोविड–19 महामारी की वजह से बैठकों/सम्मेलनों का कम आयोजन किए जाने के कारण हुई।

(a) "Industrial Relations - Other Items" - saving of ₹1750.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10425.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, less tour undertaken and holding of less meetings/conferences owing to COVID-19 pandemic.

(ख) "कार्य स्थिति और सुरक्षा – डीजीएफएएसएलआई स्कीमें" – ₹539.43 लाख की बचत (₹3100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंहगाई भत्ता के स्थिरीकरण किए जाने, चिकित्सा दावों की कम प्राप्ति होने और कोविड–19 महामारी की वजह

(b) "Working Conditions and Safety - DGFASLI Schemes" - saving of ₹539.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3100.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, receipt of less medical

से कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(ग) "सामान्य श्रम कल्याण – श्रम कल्याण स्कीमें" – ₹7607.45 लाख की बचत (₹25339.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छात्रवृत्ति/वृत्ति के लिए लाभार्थियों से आवेदनों की प्राप्ति न होने, मंहगाई भत्ता का स्थिरीकरण किए जाने और कोविड–19 महामारी की वजह से छुट्टी यात्रा रिसायत के दावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(घ) "बाल/महिला श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार – स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता अनुदान सहित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना तथा बंधुवा मजदूरों को सहायता की प्रतिपूर्ति" – ₹4828.47 लाख की बचत (₹7909.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रिंट/इलेक्ट्रोनिक मीडिया में कम विज्ञापन होने और कार्यान्वयन एजेंसियों से उपयोग प्रमाण–पत्र की प्राप्ति न होने और पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुई।

(ङ) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(i) "स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता अनुदान सहित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना तथा बंधुवा मजदूरों को सहायता की प्रतिपूर्ति" – ₹1205.92 लाख की बचत (₹1992.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से उपयोग प्रमाण–पत्रों की प्राप्ति न होने और पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुई।

claims and less tour undertaken owing to COVID-19 pandemic.

(c) "General Labour Welfare - Labour Welfare Schemes" - saving of ₹7607.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25339.00 lakhs) was due to non-receipt of applications from beneficiaries for scholarships/stipends, freezing of dearness allowance and non-receipt of leave travel concession claims owing to COVID-19 pandemic.

(d) "Improvement in Working Conditions of Child/Women Labour - National Child Labour Project including grants-in-aid to voluntary agencies and reimbursement of assistance to bonded labour" - saving of ₹4828.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7909.00 lakhs) was due to less advertisement in print/electronic media, non-receipt of utilization certificates from implementing agencies and availability of unspent balances of previous year.

(e) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "National Child Labour Project including grants-in-aid to voluntary agencies and reimbursement of assistance to bonded labour" - saving of ₹1205.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1992.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates from implementing agencies and availability of unspent balances of previous year.

(ii) "श्रम कल्याण स्कीमें" – ₹1600.50 लाख की बचत (₹2490.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(च) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(i) "श्रम कल्याण स्कीमें" – ₹879.25 लाख की बचत (₹1290.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत लाभार्थियों से आवेदनों की प्राप्ति कम होने और अधिप्राप्ति के लिए निविदा का अंतिम रूप न दिए जाने, उपयोग प्रमाण–पत्रों की प्राप्ति न होने और पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुई।

(ii) "स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता अनुदान सहित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना तथा बंधुवा मजदूरों को सहायता की प्रतिपूर्ति" – ₹611.45 लाख की बचत (₹999.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से उपयोग प्रमाण–पत्रों की प्राप्ति न होने और पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुई।

(खा) "रोजगार सेवा" –

(क) "निदेशन और प्रशासन – स्थापना" – ₹1165.02 लाख की बचत (₹5765.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंहगाई भत्ता के स्थिरीकरण किए जाने, छुट्टी यात्रा रियायत बिलों की प्राप्ति न होने, छात्रवृत्ति/वृत्ति के लिए कम आवेदनों की प्राप्ति होने और कोविड–19 महामारी की वजह से कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(ख) "रोजगार सेवाएं – रोजगार संवर्धन स्कीम" – ₹81432.64 लाख की बचत (₹171101.00 लाख के

(ii) "Labour Welfare Schemes" - saving of ₹1600.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2490.00 lakhs);

(f) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "Labour Welfare Schemes" - saving of ₹879.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1290.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less applications from beneficiaries, non-finalisation of tender for procurement, non-receipt of utilization certificates and availability of unspent balances of previous year.

(ii) "National Child Labour Project including grants-in-aid to voluntary agencies and reimbursement of assistance to bonded labour" - saving of ₹611.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹999.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates from implementing agencies and availability of unspent balances of previous year.

(B) "Employment Service" -

(a) "Direction and Administration - Establishment" - saving of ₹1165.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5765.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, non-receipt of leave travel concession bills, receipt of less applications for scholarship/stipends and less tours undertaken owing to Covid-19 pandemic.

(b) "Employment Services" - "Employment Promotion Scheme" - saving of ₹81432.64

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लाभार्थियों से कम आवेदनों की प्राप्ति होने, "प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना" स्कीम के अंतर्गत नया पंजीकरण न होने और व्यावसायिकता सेवाओं को कम लिए जाने के कारण हुई।

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – रोजगार संवर्धन स्कीम" – ₹15463.46 लाख की बचत (₹42608.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – रोजगार संवर्धन स्कीम" – ₹10048.03 लाख की बचत (₹22280.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत स्कीम के अंतर्गत नए लाभार्थियों के न होने और तीन वर्ष पूरे होने के बाद कई लाभार्थियों के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – रोजगार सृजन कार्यक्रम" – ₹890.58 लाख की बचत (₹1662.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से उपयोग प्रमाण–पत्रों की प्राप्ति न होने और पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुई।

(VI) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹745.63 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 18 और 43 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹80771.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "2230" – "श्रम – श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा–कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

lakhs (against the sanctioned provision of ₹171101.00 lakhs) was due to receipt of less applications from beneficiaries, no new registration under the scheme "Pradhan Mantri Rojgar Protshan Yojana" and less hiring of professional services.

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Employment Promotion Scheme"- saving of ₹15463.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹42608.00 lakhs); and

(d) "Tribal Area Sub-Plan - Employment Promotion Scheme" - saving of ₹10048.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22280.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to no new beneficiaries under the scheme and number of beneficiaries exited after completion of three years.

(V) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Employment Generation Programmes" - saving of ₹890.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1662.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates from implementing agencies and availability of unspent balances of previous year.

(VI) Under two heads saving of ₹745.63 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 18 and 43 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹80771.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head "2230" - "Labour - Social Security for Labour - Employees' Pension Scheme, 1995".

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2230" – "श्रम – श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा – असम में बागान कामगारों के लिए परिवार पेंशन एवं जीवन बीमा स्कीम" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई – ₹2308.89 लाख का अधिक व्यय (₹5.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2230" - "Labour - Social Security for Labour - Family Pension-cum-Life Assurance Scheme for the Plantation Workers in Assam" - excess of ₹2308.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹418.85 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 8377 प्रतिशत था।

(III) Under one head excess of ₹418.85 lakhs occurred constituting 8377 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4250" अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4250" Capital Outlay on Other Social Services				
मू.	O.	4390.00	2679.00	2604.69	-74.31
पु.	R.	-1711.00			

(I) "श्रम – अन्य मदें" – ₹1085.63 लाख की बचत (₹2415.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्य के लिए निविदा को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने और वाहन, मशीनरी और उपकरणों की अधिप्राप्ति में विलंब होने के कारण हुई।

(I) Under "Labour - Other Items" - saving of ₹1085.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2415.00 lakhs) was due to delay in finalisation of tender for construction work and delay in procurement of vehicle, machinery and equipments.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹310.93 लाख की बचत जो स्वीकृत प्रावधान का 52 प्रतिशत थीं।

(II) Under one head saving of ₹310.93 lakhs occurred constituting 52 percent of the sanctioned provision.

4. बीड़ी कामगार कल्याण निधिः–

यह निधि बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के अधीन बीड़ी विनिर्माण में लगे व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों के लिए कल्याणकारी क्रियाकलापों का वित्तपोषण करने के लिए गठित की गई थी। बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 के अधीन बीड़ियों के विनिर्माण के संबंध में किसी भी प्रयोजन के लिए भांडागारों से व्यक्ति को दिए गए तम्बाकू पर उपकर लगाकर निधि को वित्तपोषित किया जाता था। इस उपकर को वित्त अधिनियम, 1979 के अधीन मार्च, 1979 से हटा दिया गया था परन्तु बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन अधिनियम, 1981) के अंतर्गत इसे 1 जनवरी, 1982 से फिर से लगा दिया गया था।

वर्ष 2020–21 के लिए निधि का लेखा निम्न प्रकार था:–

4. Beedi Workers Welfare Fund:-

The Fund was constituted under the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 for financing welfare activities of persons and their dependents engaged in Beedi manufacturing. The fund was financed by the levy of cess collected under Beedi Workers Cess Act, 1976 on tobacco issued to the persons from warehouses for any purpose in connection with manufacture of Beedi. This cess was abolished with effect from March, 1979 under the Finance Act, 1979 but was levied again with effect from 1st January, 1982 under the Beedi Workers Welfare Cess (Amendment Act, 1981).

The Account of the Fund for 2020-21 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	-210,70,63
प्राप्तियां	Receipts	NIL
अदायगियां	Payments	NIL
अंतशेष	Closing Balance	-210,70,63